

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

संख्या 64/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

निरंजन पुत्र बुद्धी जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला
भरतपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.10.18 तहसीलदार
बयाना मि०सं० 24/2018 राजस्थान सरकार बनाम
निरंजन (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर वकील अपीलान्त।
2. परोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 28.12.2018



यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 23.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश में सम्बत 2075 में ग्राम खेडलीगडासिया की चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 2208 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल चरी व बाजरा बो कर अपीलान्त निरंजन का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपीलान्त पर लगान राशि 7.68 रूपये का पचास गुना राशि 384 रूपये की शास्ती आरोपित करते हुये मौके से बेदखल कर सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने साथ ही गत सम्बत में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती अतिक्रमि होने के कारण तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से भी अपीलान्त को दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट की आराजी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना में स्थित है जिससे सटी हुई चारागाह भूमि है। प्रार्थी की भूमि अत्याधिक कम सीमा में है तथा प्रार्थी लघु कृषक की परिधि में आता है। प्रार्थी के पूर्वजों के विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण भूमि चारागाह पर प्रकरण दर्ज किये गये जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 23.3.1996 को निर्णय पारित कर निगरानी अपीलान्ट स्वीकार करते हुये प्रकरण को नियमन हेतु परीक्षण करवाया जाकर निर्णय करने का आदेश पारित करवाया गया है जिसकी पालना में ताहाल कोई कार्यवाही न कर यह विवादित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया जिससे सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। अपीलान्ट सामान्य कृषक परिवार से जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के गलत रिपोर्ट तहत अदालत में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई/जबाब का कोई अवसर नहीं दिया गया है। केवल नोटिस जारी कर निर्णय पारित कर दिया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि आदेशिका दिनांक 27.9.2018 के अनुसार पत्रावली जांच रिपोर्ट में लम्बित थी तथा पेशी 23.10.2018 नियत की गई थी पत्रावली अन्तिम बहस में नियत नहीं थी बाबजूद इसके तहत अदालत ने मनमानी तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया गया है जो काबिल मंसूखी है। इसके अलावा तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व अतिक्रमण/बेदखली कार्यवाही से संबधित ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत भी है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हस्ता की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त सख्त कार्यवाही



को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ
द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। अपीलान्त के हक में आज
उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है
काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन
नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है।
राजकीय चारागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि भी है।
इलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त
पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये
जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन
किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा
पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा
नम्बर 2208/0.48 हैक्टैयर किस्म चारागाह वाकै खेडलीगडासिया पर अपीलान्त
निरंजन द्वारा फसल चरी व बाजरा बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है।
उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्त के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक
28.12.2018 से भी स्पष्ट होता है। शपथ-पत्र के अनुसार अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण
हटा भी लिया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबध में यह सुनिश्चित है कि
विगत वर्षों में मौके से वेदखली होने पर ही इस वर्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण
कहलायेगा। जिसे साबित करने में पैरोकार सरकार असफल रहे है चूंकि अपीलान्त
के विरुद्ध विगत वर्षों के अतिक्रमण/बेदखली संबधी रिकार्ड तहत पत्रावली पर
उपलब्ध नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की
हद तक निरस्त किया जाना उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त सशर्त-आंशिक स्वीकार की
जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद
जांच यदि मौके पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही
अपीलाधीन आदेश 23.10.2018 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा
अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को सुनाया गया।

